न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) पुरवा, उन्नाव।

UPUN120000271999

दीवानी वाद संख्या –184/1999
शिवलाल बनाम श्रीमती कलावती आदि
दिनांक –31.03.2026

(1) पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वाद बिन्दु सं0–3 पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3 :–

वाद बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि :–
''क्या प्रस्तुत वाद धारा 331 उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमिसुधार अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है ?

(2) यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के जवाबदावा के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर आयत होता है। प्रतिवादी सं0–2 व 3 की ओर से अपने जवाबदावा में यह अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादिनी सं0–1 सदासुख की हिन्दू धर्मानुसार विवाहित पत्नी एवं लॉ फुल विड वाईफ है। प्रतिवादिनी सं0– 1 सदासुख की वैवाहिक उत्तराधिकारिणी है। वादी का कहना है कि वह अपने माता पिता का तनहा संतान है। बिल्कुल गलत है। सदा सुख के चार लड़के शिवलाल, गुरूप्रसाद, गंगादीन, व कमलेश कुमार प्रतिवादी सं0–1 का सम्बन्ध सदासुख के विधि विपरीत नहीं रहा है। बल्कि प्रतिवादिनी सं0–1 सदासुख की ब्याहता पत्नी थी। प्रतिवादी सं0–2 व 3 भी सदासुख के पुत्र हैं और सरकारी अभिलेखों में इनका नाम दर्ज कागजात है। जिसको आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। लिखित खातेदार गुरूप्रसाद, गंगादीन एवं कमलेश कुमार के अधिकारों को चुनौती देने से तथा गंगादीन के वारिसानों के अधिकारों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य मुकदमा विचाराधीन होने के कारण दावा धारा 331 जा0वि0एक्ट से बाधित है। वादीगण का कहना बिल्कुल गलत है कि वह विवादित भूमि का तनहा स्वामी है। वादी का कहना गत है कि विवादित भूमि में उनका 1/3 भाग है। यह सच है कि वादी का विवादित भूमि में 1/4 भाग है। वादी को अपने हिस्से की घोषणा का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय में प्राप्त है और इस प्रकार यह दावा धारा 331 जा0वि0एक्ट से बाधित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0–2 व 3 द्वारा अपने जवाबदावा के विशेष उत्तर में कथन किया गया है कि प्रस्तुत दावा की सहायता से वादी राजस्व भूमि में अपने हिस्से के अधिकार की घोषणा कराना चाहता है। जो सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार

के बाहर है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को चुनौती देकर वादी अपने आपको विवादित भूमि के 1/3 भाग की घोषणा कराना चाहता है। इस प्रकार दावा धारा 331 जा0वि0एक्ट से बाधित है। सदासुख की दो शादियॉ हुई थीं। प्रथम शादी से पुत्र शिवलाल का जन्म हुआ और सदासुख की दूसरी शादी हिन्दू धर्म के अनुसार श्रीमती कलावती से हुई थी। जिनसे तीन पुत्र गुरूप्रसाद, गंगादीन, व कमलेश कुमार का जन्म हुआ। बाद मृत्यु सदासुख विवादित भूमि का दाखिल खारिज सदासुख के चार लड़कों शिवलाल, गुरूप्रसाद, गंगादीन व कमलेश कुमार के नाम हुआ और तद्नुसार उनका कब्जा व दखल रहा है। जिसे आज तक वादी ने किसी अदालत में चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार यह इन्द्राज अन्तिम कतई है। गुरूप्रसाद गंगादीन व कमलेश कुमार चूॅकि दूसरी मॉ के लड़के है। इसलिए शिवलाल इनसे रंजिश मानता है। जब विवादित भूमि गंगादीन का नाम दर्ज है और गंगादीन की मृत्यु अविवाहित हुई तो कानूनन उसकी मॉ श्रीमती कलावती ही उसकी वारिस होंगी। वादी ने दूषित भावना के कारण अपने दावा में इस आवश्यक बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया है कि श्रीमती कलावती गंगादीन की मॉ या नहीं।

(3) वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि भूमि सं0– 255 रकबा 0.490, 261 रकबा 0.938, 527अ रकबा 1.151, 527 ब रकबा 0.155 स्थित ग्राम टुसरौर परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव का वादी प्रवितादी सं0– 2 व 3 के साथ बतौर सहखातेदार दर्ज कागजात है और इन्द्राज के अनुसार वादी बहिस्से बराबर सहखातेदार दर्ज है। प्रतिवादिनी सं0– 1 सदासुख का हिन्दू धर्मानुसार विवाहित पुत्री पत्नी नहीं है और न वह ला फुल्ली वेइड हैं ऐसी परिस्थिति में वह सदासुख की वैध उत्तराधिकारिणी नहीं है। वादी अपने माता पिता की तनहा सन्तान है। वादी की माता का देहान्त हो जाने पर वादिनी सं0–1 का विधि विपरीत सम्बन्ध सदासुख से यदि हो तो उससे सदासुख की पत्नी कानून की दृष्टि में नहीं हो सकती हैं। प्रतिवादी सं0–2 व 3 प्रतिवादिनी सं0–1 के पुत्रगण हैं। प्रतिवादिनी सं0– 1 कलावती का देहान्त दौरान मुकदमा दिनांक 02.03.2001 को हो चुका है। यद्यपि उक्त विवादित भूमि का वादी तनहा स्वामी है, किन्तु चूॅकि वादी के तनहा स्वामित्व के निर्णय का अधिकार न्यायालय श्रीमान की न्यायसीमा के बाहर है। इस कारण वादी अपने सहखातेदारी वाले इन्द्राज के आधार पर अपने हिस्से के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद दायर कर रहा है। प्रस्तुत वाद में उपरोक्त भूमि में चूॅकि वादी का 1/3 भाग राजस्व अभिलेख इन्द्राज के आधार पर है। इस कारण वादी इन्द्रराज के आधार पर 1/3 भाग के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद दायर कर रहा है। जिसे वादपत्र हाजा में विवादित भूमि अभिकथित किया जावेगा। प्रतिवादीगण निहायत अन्यायी उदन्ड तथा झगड़ेलू किस्म के अतिक्रमण कारी प्रवृत्ति के लोग हैं और अपनी इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर अर्सा दो रोज का हुआ उन्होंने विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया चूॅकि वादी ने उन्हें उनकी इस हरकत बेजा में कामयाब नहीं होने

दिया। जिससे वह अत्याधिक कुपित हो गये और एलानिया धमकी दी कि वह अतिशीघ्र पूरी तैयारी से आकर विवादित भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे और वादी को कब्जा से बाहर करके विवादित भूमि का विक्रय किसी दबंग आदमी के हक में कर देंगे, जिसका कि उन्हें कोई कानूनी मजाज हासिल नहीं है। दावा दायर करने का कारण अर्सा दो रोज का हुआ जब प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया किन्तु कामयाब न होने पर वादपत्र हाजा की धारा 4 में उल्लेखित धमकी दी। अन्दर हद अखितयार समाअत अदालत हाजा ग्राम टुसरौर परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव में उत्पन्न हुआ।

(4) वादीगण के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची साक्ष्य 9ग से 1–इन्तखाब खितौनी फसली सन 1403 फसली से 1408 फसली बाबत खाता सं0– 239 स्थित ग्राम टुसरौर, परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव दिनांकित 26.06.1999, सूची साक्ष्य 28ग से 1– एक किता असल पंजीकृत वसीयतनामा द्वारा कलावती बहक अखिलेश कुमार दिनांकित 27.002.2007 दाखिल किया गया है।

(5) प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची साक्ष्य 87ग से 1– एक किता नकल आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पुरवा वाद सं0– टी0 202110690207639 गोपीशंकर आदि बनाम श्रीमती कलावती आदि अ0धारा 34 उ0प्र0 राजस्व अधिनियम दिनंकित 28.02.2025, सूची साक्ष्य दिनांकित 11.03.2026 से 1– उद्धरण खितौनी 1412–1417 फसली बाबत खाता खितौनी संख्या–0270 ग्राम टुसरौर परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव तथा सूची साक्ष्य 86ग से 1– एक किता असल खितौनी फसली वर्ष 1403–1408 खाता सं0–239, 2– एक किता वसीयत छायाप्रति बहक कलावती नाविस्ते अखिलेख कुमार दिनांक 27.02.2001 दाखिल किया गया है।

(6) सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

(7) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा भूमि सं0– 255 रकबा 0.490, 261 रकबा 0.938, 527अ रकबा 1.151, 527 ब रकबा 0.155 स्थित ग्राम टुसरौर परगना व तहसील पुरवा जिला में अपने 1/3 हिस्से के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया है। जब कि प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रस्तुत दावा की सहायता से वादी राजस्व भूमि में अपने हिस्से के अधिकार की घोषणा कराना चाहता है। जो सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को चुनौती देकर वादी अपने आपको विवादित भूमि के 1/3 भाग की घोषणा कराना चाहता है। प्रतिवादी सं0–2 व 3 भी सदासुख के पुत्र हैं और सरकारी अभिलेखों में इनका नाम दर्ज कागजात है। जिसको आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। लिखित खातेदार गुरूप्रसाद, गंगादीन एवं कमलेश कुमार के अधिकारों को चुनौती देने से तथा गंगादीन के वारिसानों के अधिकारों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य मुकदमा विचाराधीन

होने के कारण दावा धारा 331 जा0वि0एक्ट से बाधित है। उल्लेखनीय है कि अभी इस स्तर पर पक्षों के मध्य कोई भी विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि में वादी के 1/3 भाग की शिनाख्त भी संभव नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि गंगादीन के मृत्यु होने के पश्चात उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरण का वाद राजस्व न्यायालय में विचारणीय था, परन्तु वादी शिवलाल के द्वारा दौरान वाद यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया है। अतः वादी के पास विधिक बंटवारे का न तो कोई अभिलेखीय अधिकार है और न ही प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि से निषेधित कराने का कोई वैधानिक आधार। वस्तुतः वादी इस वाद के माध्यम से परोक्ष रूप से अपने अधिकार की घोषणा एवं पूर्व राजस्व कार्यवाही को निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विवाद का वास्तविक स्वरूप विवादित भूमि के बंटवारे एवं अंश से सम्बन्धित है, जो कि धारा 331 उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में आता है और सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस प्रकार के वादों में बाधित है। वादी को मालूम होने के बावजूद कि अभी उनका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने राजस्व कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से इस न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखीय स्थिति एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है और वाद बिन्दु सं0–3 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाद बिन्दु सं0–3 नकारात्मक रूप से वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। वाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू0डि0)
पुरवा, उन्नाव।